डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. संस्कृत साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नाबालिग जरिये पिता दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर 13/116 राजनगर तहसील गाजियाबाद जिला गाजीयाबाद उत्तर प्रदेश हाल आबाद गहरौली।
2. लाभान्शू साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नाबालिग जरिये पिता दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर 13/116 राजनगर तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हाल आबाद गहरौली।

वादी

बनाम

1. शिवराजसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत निवासी उर्देन तहसील टोडाभीम।
2. धारासिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुर बाडा तहसील नादौती।
3. शीला बंसल पत्नि किशन बंसल निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम।
4. सरिका ललवानी पत्नि विशाल ललवानी जाति महाजन निवासी सी.आई.डी कैंडस सिरसी रोड जयपुर।
5. राकेश कुमार पुत्र गोविन्द सहाय ब्राह्मण निवासी पोष्ट आफिस के पिछे संब्जी मंडी वाली गली मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
6. मोनिका अग्रवाल पत्नि सुधीर अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान न0 41 शास्त्री नगर नई दिल्ली। हाल बालाजी धाम विश्राम गृह स्टेट बैक के सामने मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
7. रधुराजसिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

प्रतिवादी गण

दावा बावत बटवारा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मु0न0 110/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 76 रकवा 0.0530 है0 मे वादीगण संस्कृतसाहू, लाभान्सुसाहू पि. दिनेश गुप्ता नाबालिग बबिलायत पिता खुद दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर–13/116 राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी गहरौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी।

निज..................मुबलिंग.........................बाबत.......................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 110/18

तारीख रजू:– 31.08.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. संस्कृत साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नाबालिग जरिये पिता दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर 13/116 राजनगर तहसील गाजियाबाद जिला गाजीयाबाद उत्तर प्रदेश हाल आबाद गहरौली।
2. लाभान्शू साहू पुत्र दिनेश गुप्ता नाबालिग जरिये पिता दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर 13/116 राजनगर तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हाल आबाद गहरौली।

वादी

बनाम

1. शिवराजसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत निवासी उर्दन तहसील टोडाभीम।
2. धारासिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुर बाडा तहसील नादौती।
3. शीला बंसल पत्नि किशन बंसल निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम।
4. सरिका ललवानी पत्नि विशाल ललवानी जाति महाजन निवासी सी.आई.डी कैडस सिरसी रोड जयपुर।
5. राकेश कुमार पुत्र गोविन्द सहाय ब्राह्मण निवासी पोष्ट आफिस के पिछे संब्जी मंडी वाली गली मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
6. मोनिका अग्रवाल पत्नि सुधीर अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान न0 41 शास्त्री नगर नई दिल्ली। हाल बालाजी धाम विश्राम गृह स्टेट बैक के सामने मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
7. रघुराजसिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

प्रतिवादी गण

दावा बावत बटवारा अन्तर्गत घारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–1. श्री कृष्ण मित्तल एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक:– 18.12.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि गहरौली स्थित आराजी ख0न0 76 रकबा 0.16 है0 मे वादी न0 1 व 2 का हिस्सा 530/1600 रिकार्ड दर्ज है। तथा प्रतिवादीगण का जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अनुसार प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 10/1600 तथा प्रतिवादी न0 2 का हिस्सा 70/1600 तथा प्रतिवादी न0 3 का हिस्सा 200/1600 तथा प्रतिवादी न0 4 का हिस्सा 200/1600 तथा प्रतिवादी न0 5 का हिस्सा 150/1600 तथा प्रतिवादी न0 6 का हिस्सा 300/1600 तथा प्रतिवादी न0 7 का हिस्सा 140/1600 दर्ज रिकार्ड है। वादी न0 1 व 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2003 को ख0न0 77 रकबा 0.09 तथा ख0न0 76

Scanned by CamScanner

रकवा 0.16 है0 ग्रम गहरौली मे संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख तस्दीक करवाकर क्रय गई थी परन्तु ख0न0 77 रकवा 0.09 है0 का काउन्टर क्लेम उनवानी मुकदमा चन्द्रकान्ता बनाम शिवराजसिंह आदि मे पेश कर दिया है एवं हाल मुकदमा बटवारा वादीगण 1 व 2 ने ख0न0 76 रकवा 0.16 है0 ग्रम गहरौली का दावा पेश किया है जिसमे वादीगण अपने वर्तमान कब्जानुसार बटवारा करवाना चाहते है मौके पर वादी न0 1 व 2 का अपने हिस्से पर कब्जा है जो कि वरवक्त खरीद से चला आ रहा है। बॉका दिनांक 13.7.18 का है वादी न0 1 व 2 ने प्रतिवादीगणो से जमीन का बटवारा करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगणो ने साफ मना कर दिया। हमने पुनः हाथ जोडकर कहा हमारी उपरोक्त कब्जे वाली भूमि का बटवारा करवा दो परन्तु पुनः प्रतिवादीगणो ने साफ शब्दो से मना कर दिया इस कारण दावा बटवारा पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 76 रकवा 0.16 है0 ग्राम गहरौली मे वादीगण का अलग खाता कायम करवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वादपत्र वाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये दस्तावेजो एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 76 रकवा 0.0530 है0 मे वादीगण संस्कृतसाहू, लाभान्सुसाहू पि. दिनेश गुप्ता नाबालिग बबिलायत पिता खुद दिनेश गुप्ता जाति तेली निवासी आर–13/116 राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी गहरौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 12:46:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: